न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 277/2025

जीसीएमएस नं. :— 2025/361

बनाम

प्रार्थीगण :—	अप्रार्थीगण :—
श्री झुमर लाल चौधरी पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बांकलिया	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :—04/08/2025

श्री रामकिशोर खोजा प्रार्थी की ओर से

तहसीलदारपीपाड़ शहर— अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08/12/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम बांकलिया पटवार हल्का बुचकला तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

खाता संख्या	खसरा नम्बर		रकबा हैक्टैयर में	किस्म
211	18		1.3476	बारानी
	343		1.2341	बारानी
	50		1.1949	बारानी
कुल खसरा	03	कुल रकबा	3.7766 हैक्टैयर	
130	416		4.8621	चाही
	418		0.8771	चाही
	419		3.9817	चाही
	417		0.1145	गै.मु. कुआं
कुल खसरा	04	कुल रकबा	9.8354 हैक्टैयर	

सबुत में नकल जमाबन्दी सर्वे आधार संवत 2081 की संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है ग्राम बाकलिया की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 211 खसरा नम्बर 18, 343, 50, कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.7766 हेक्टेयर भूमि में प्राथी का 1/3 वा हक व हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम बाकलिया की राजस्व सिमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 416, 417, 418, 419 कुल खसरा 04 कुल रकबा 9.8354 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/60 वा हक हिस्सा पर सयुक्त रूप से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानुनन बंटवाडा किया हुआ नहीं है। प्रार्थी अपने हक हिस्सा की जमीन पर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा 20/07/2025 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल मांगी इस पर हल्का पटवारी ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सेवन से त्रुटिवश झुमरराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड पेन कार्ड ड्राईवरिंग लाइसेंस, व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम झुमर लाल चौधरी दर्ज है लेकिन राजस्व रेकार्ड वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम झुमरराम राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवंश गलत रूप से इन्द्राज कर दिया इसलिए राजस्व रकडे दुरस्त करवाया जाकर तमाबंदी में झुमरराम के स्थान पर झुमर लाल चौधरी इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमायें। प्राथी ने उक्त दुरुस्ती अप्रार्थी से करने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा से दुरूस्ती करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा में रेकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रेकार्ड वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम झुमरराम पुत्र गंगाराम के स्थान दुरस्ती फरमायी जाकर प्रार्थी का नाम झुमर लाल चौधरी पुत्र गंगाराम दर्ज/ इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम बांकलिया के खाता संख्या 211 खसरा संख्या 18, 343, 50 व खाता संख्या 130 खसरा संख्या 416, 417, 418, 419 में प्रार्थी का नाम झुमरराम पुत्र गंगाराम के स्थान झुमर लाल चौधरी पुत्र गंगाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए राजस्व ग्राम बांकलिया के खाता संख्या 211 खसरा संख्या 18, 343, 50 व खाता संख्या 130 खसरा संख्या 416, 417, 418, 419 में प्रार्थी का नाम झुमरराम पुत्र गंगाराम के स्थान झुमर लाल चौधरी पुत्र गंगाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बांकलिया के खाता संख्या 211 खसरा संख्या 18, 343, 50 व खाता संख्या 130 खसरा संख्या 416, 417, 418, 419 में प्रार्थी का नाम झुमरराम पुत्र गंगाराम के स्थान झुमर लाल चौधरी पुत्र गंगाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमी राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 08/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमी राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर